निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 58 / 2021
दायरा दिनांकः—21.09.2021
निर्णय दिनांकः— 9.10.24

उनवान

जमनालाल आयु 78 वर्ष आत्मज रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

बनाम

1. गोरर्धन आयु 45 वर्ष आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी बिन्दाराडी
2. गोपाल आयु 77 वर्ष आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी बिन्दाराडी तहसील छबडा जिला बारां राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 9.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 152 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा वाके ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबड़ा जिला बारां राज में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज भू अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है । प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त एव खातेदारी की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का वैधानिक अधिकारी है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण जबरन बलपूर्वक अवैध रूप अतिक्रमण करने की नियत से नया रास्ता कायम कराना चाहते है। तथा प्रार्थी की भूमि की मेढ व उसके हिस्से को परिवर्तित करना चाहता है ताकि आमजन व जानवर प्रार्थी के खेत में प्रवेश कर सकें। जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग ना कर सके। इस अवैध उद्देश्य की पूर्ति में अप्रार्थीगण द्वारा आऐ दिन गाली—गलोच व लडाई झगडे पर आमादा है। अप्रार्थी गौरर्धन लठठ, गंन्डासी घातक हथियार लेकर प्रार्थी के खेत के रास्ते में वैठा रहता है। तथा वहां आने पर जान से मारने व हाथ पैर काटने की धमकी देता है। अप्रार्थी झगडा कर प्रार्थी की भूमि पर इस अतिक्रमण करने पर आमादा हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण अपराधिक, लडाकू झगडालू प्रवृति जो प्रार्थी की वृद्ध अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर अतिक्रमण कराना चाहते है इसलिए अप्रार्थी के उक्त कृत्य को करने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रतिवादी गोरधन द्वारा दिनांक 25—8—2021 को प्रार्थी की उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने की नियत से टेक्ट्रर पंजा सहीत ले गया व जबरन जमीन हाकने व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की गन्दी गन्दी गालीयां दी व धक्का–मुक्की कर प्रार्थी को उसकी भूमि पर आने सके हाथ पैर काट कर जान से खत्म करने की धमकी दी। प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति हैं बकि अप्रार्थी गोरधन व उसके बच्चे परिजन नवयुवक है जो ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त भूमि को अतिक्रमण कर छीनना चाहते हैं प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल कर काबिज होना चाहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई बैधानिक अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी को यह आशंका उत्पन्न हो गई कि कभी भी अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सकते है। यदि मुताबिक धमकी अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव होगी तथा प्रार्थी को अकारण कई मुकदमों में उल्झना पड़ेगा व वादी को उसके सम्पत्ति के अधिकार व जिविकापार्जन के साधन से विमुख होना पड़ेगा। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 46 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बिन्दाराडी पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रार्थी अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने के वैधनिक अधिकारी है अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर जबरन बल पूर्वक अवैध रूप से अतिक्रमण करने की नियम से नया रास्ता कायम कराना चाहतें है अप्रार्थी गोरधन प्रार्थी की उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर जमीन हांकने की धमकी दी। अप्राथीगण प्रार्थी की उक्त भूमि को अतिक्रमण कर छीनना चाहतें है अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिन्दाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 45 में जमनालाल पुत्र रामलाल जाति गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे में है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने को कोई अधिकार नही है अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया। प्रार्थी खातेदार कृषक है अप्रार्थी सह खातेदार भी नही है अप्रार्थी को कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 152 रकबा 1.02 बीघा पर प्रार्थी शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा